समाचार.प्रकाषनार्थरू.

निर्माण कार्य षनिवार तक प्रारंभ हो जायें.कलेक्टर श्री पुरूशोत्तम
समीक्षा बैठक में ठेकेदारो को दिये निर्देष

रतलाम 2 मार्च । रतलाम शहर में नगर निगम द्वारा बड़ी संख्या में कार्य स्वीकृत किए गए हैं परंतु कार्य होते दिखाई नहीं दे रहे हैं सभी इंजीनियर और ठेकेदार यह सुनिश्चित करें कि जितने भी स्वीकृत कार्य हैं वे सभी कार्य आगामी शनिवार तक हर हाल में प्रारंभ हो जाए अन्यथा ठेकेदार की अर्नेस्ट मनी जप्त कर ली जाएगी उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा उपरोक्त निर्देश कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम के ठेकेदारों को बैठक में दिएए बुधवार शाम सिविक सेंटर सभाकक्ष में आयोजित बैठक में निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया कार्यपालन यंत्री श्री मोहम्मद हनीफ शेख श्री सुरेश चंद्र व्यास सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी आदि उपस्थित थे। बैठक मैं कलेक्टर द्वारा नगर निगम के सड़क निर्माणए नालीए पेवर निर्माण आदि कार्यो की समीक्षा की गई

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री पुरूशोत्तम ने कहा कि जो वर्क आर्डर जारी हो चुके हैं परंतु अनुबंध नहीं हुआ है उन ठेकेदारों को अनुबंध संपादित करके दो दिवस में कार्य प्रारंभ करना होगा आगामी शनिवार को कलेक्टर द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जाएगा उस दिन साइट पर उपयंत्री के साथ.साथ ठेकेदार भी मौजूद रहे।

बैठक में बताया गया कि शहर में जो सड़कें निर्माणाधीन हैं उनमें मॉर्निंग स्टार स्कूल से टैंकर रोड तक सीसी सड़क कार्य इंद्रलोक नगर मेन रोड पर डामरीकरण डोंगरे नगर पानी की टंकी के पास सीसी निर्माण तथा मुक्तिधाम से गुरु राम दास होते हुए देवरा देवनारायण तक डामरीकरण सम्मिलित है इसके अलावा विनोबा नगर टंकी से ग्लोबस गेट तक डामरीकरण जय बाबा स्कूल वाली सड़क पर डामरीकरण अंबे माता चौक से राधे कृष्ण मंदिर होते हुए साईं बिलि्ंडग तक

डामरीकरण सड़क निर्माण एवं 80 फीट रोड से रत्नपुरी तक डामरीकरण कार्य के कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं बताया गया कि सुयोग परिसर से पी एम ए वाई बिलिं्डग मुखर्जी नगर तक सीसी सड़क निर्माण पद्मश्री बार सैलाना रोड से कस्तूरबा नगर गली नंबर 6 तक सीसी रोड निर्माण तथा रॉकेट लॉन्ड्री से आरोग्य हनुमान मंदिर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है बताया गया कि डामर एवं पेवर ब्लॉक के प्रथक प्रथक प्राक्कलन तैयार करके जिन कार्यों की स्वीकृति ली जाना है उनमें डालू मोदी बाजार से गणेश देवरी तक डामरीकरण एवं पेवर ब्लॉक रानी जी के मंदिर से हरदेव लाला की पीढ़ी तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक रानी जी के मंदिर से नाहरपुरा चौराहा तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना नीम चौक में सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना माणक चौक क्षेत्र में डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक कार्य डालू मोदी बाजार से घास बाजार तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य बजाज खाना रोड पर सड़क डामरीकरण एवं पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य चांदनी चौक से घास बाजार तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य शहीद चौक से रानी जी के मंदिर तथा गणेश देवरी तक डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य शामिल हैं।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए श्री मोहम्मद हनीफ षेखए सहायक यंत्री श्री ष्याम सोनीए प्रभारी सहायक यंत्री श्री एमण्केण जैनए श्री अनवर कुरेषीए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडितए बीण्एलण चौधरीए राजेष पाटीदारए मनीश तिवारीए ब्रजेष कुषवाहए सुश्री दीक्षा निजामपुरकरए निज सहायक श्री सुभाश गोयलए सहायक वर्ग 3 श्री कैलाष गेहलोत सहित निर्माण कार्यो के ठेकेदार उपस्थित थे।

नगर निगम ने पकड़ी संपत्तिकर टेक्स चोरी

8 व्यक्तियों को 5 गुना षास्ति के साथ दिया संपत्तिकर का बिल

रतलाम 02 मार्च । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार संपत्तिकर विभाग के अमले द्वारा नगर में 5000 स्क्वेयर फीट से अधिक के व्यावसायिक प्रतिश्ठानोंए भवनों की नपती की जा रही है जिसके तहत विवरणी में दर्षाये गये क्षेत्रफल से अधिक का एरिया पाये जाने पर संबंधित पर अधिक क्षेत्रफल का बिल 5 गुना षास्ति के साथ दिया जा रहा है।

संपत्तिकर विभाग द्वारा 5000 स्क्वेयर फीट से अधिक के व्यावसायिक प्रतिश्ठानोंए भवनों की नपती के तहत भवन का क्षेत्रफल अधिक पाये जाने पर अब्दुल अजीज. हुसैन बक्ष अल अजीज मार्केट को 346753ए अब्दुल अजीजए अब्दुल रषीद.अब्दुल करीम अल रहमत मार्केट को 783586ए मोहम्मद इकबालए मोहम्मद विकारए मोहम्मद अषफाक.अब्दुल रषीद ए के प्लाजा को 227598ए श्रीमती सायरा बानो पति मोहम्मद उमरए एहमद हुसैनए मोहम्मद जाकिरए मोहम्मद इकबाल निखार मार्केट को 666072ए पारसमल.पूनमचन्दए षारदा.पारसमल कॉलेज रोड को 397265ए श्रीमती सावित्री देवी पति जगदीषचन्द्र माहेष्वरी महर्शि दयानन्द मार्ग 142350ए पन्नालाल. झमकलालए आषीश.पन्नालाल कटारिया बजाजखाना को 93541 व श्रीमती ललीताबाई पति छोटेलाल गांधीए मनसुखलाल.मगनलालए अर्पित.मनसुखलाल गांधी चांदनी चौक को 427237 का धारा 138 के तहत बिल निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार दिया गया है। 7 दिवस की समयावधि में देय बिल की राषि जमा नहीं कराने पर षक्ति पत्र जारी कर संबंधित की संपत्ति कुर्क की जावेगी।

अंकूर अभियान के तहत विभिन्न उद्यानों में 490 पौधो का किया रोपण

रतलाम 02 मार्च । प्राण वायु हेतु षासन द्वारा 1 से 5 मार्च तक चलाये जा रहे अंकुर अभियान के दुसरे दिन नगर के विभिन्न उद्यानों में निगम आयुक्त श्री

सोमनाथ झारिया के निर्देषन में विभिन्न प्रजातियों के 490 पौधो का रोपण किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि षासन द्वारा चलाये जा रहे अंकुर अभियान के तहत 2 मार्च बुधवार को गोपाल गौशाला कालोनी उद्यानए अटल उद्यानए राजेंद्र नगरए भगत सिंह उद्यानए ओसवाल नगर उद्यानए गांधीनगर उद्यानए नगर निगमए जैन कॉलोनीए थावरिया बाजारए रामबागए वकील कॉलोनीए महालक्ष्मी नगरए समता परिसरए गुलमोहर कॉलोनीए मित्र निवास कॉलोनीए गुलाब चक्करए जवाहर नगरए विनोबा नगरए अंबिका नगरए सरस्वती नगरए क्रिश्चियन कॉलोनी सहित अन्य उद्यानों में शीशमए केशियाए गुड़हलए नीमए करंजए अमलतासए कनेर आदि प्रजातियो का पौधा रोपण करते हुए 490 पौधो का रोपण किया गया।

नगर निगम के विभिन्न करों से 13ण्58 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम 02 मार्च । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास षाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 02 मार्च बुधवार को कुल राषि रूपये 13ए58ए314ध्. का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 02 मार्च बुधवार को संपत्तिकर षिविर से 175386ए कार्यालय 233448ए वसूली दल 562115 कुल 970949ए जलकर षिविर 84850ए कार्यालय 124990ए वसूली दल 42286 कुल 252126ए दुकान गुमटी किराया कार्यालय 12725ए वसूली दल 122520 कुल 135245 इस तरह कुल राषि रूपये 13ए58ए314ध्. का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

प्लाट पर गंदगी पाये जाने पर भगवान भाई पर 10 हजार का जुर्माना
खुले में गंदगी करने पर 10 व्यक्तियों पर जुर्माना
जुर्माने के रूप में 12ए900ध्. राषि वसूली

रतलाम 02 मार्च । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 01 मार्च मंगलवार को 3 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार न्यू रोड क्षेत्र में प्लाट पर गंदगी पाये जाने पर प्लाट मालिक भगवान भाई पर 10000ए षहरी क्षेत्र में पषु पालन कर गंदगी करने पर सतीष व्यास पर 1000ए खुले में कचरा एवं गंदगी करने पर विजय डामोर पर 500ए रविए षांतिलालए अरबाजए लक्ष्मणसिंह सोनगराए षिवषक्ति कैफेए राधेष्याम व योगेन्द्र पर 200.200 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी।

नेषनल लोक अदालत का 12 मार्च षनिवार को आयोजन

संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राषि जमा करने पर अधिभार ;सरचार्जद्ध की राषि में छूट

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राषि

रतलाम 02 मार्च । राश्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य षासन के निर्देषानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार ;सरचार्जद्ध में छूट देने हेतु 12 मार्च 2022 षनिवार को नेषनल लोक अदालत के तहत बकाया राषि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में षिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेषनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध्. ;रूपये पचास हजारद्ध तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें

कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000ध् ;रूपये दस हजारद्ध तक बकाया होने पर 100 प्रतिषत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजारद्ध से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाखद्ध तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000ध् से अधिक तथा रूपये 50ए000ध् तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाखद्ध से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध् से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार ;व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदजद्ध ही दी जायेगी। यह छूट वर्श 2020.21 तक की बकाया राषि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 12ध्03ध्2022 की नेषनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 12 मार्च 2022 षनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित षिविर में उपस्थित होकर बकाया राषि जमा कराकर दी जा रही अधिभार ;सरचार्जद्ध में छूट का लाभ उठावें।

02 मार्च को 93 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 02 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा

रहा है जिसके तहत 02 मार्च बुधवार को 93 टन कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

02 मार्च बुधवार को डम्पर से 34685ए टेªक्टर से 12205ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 36615ए काम्पेक्टर गीला कचरा 9790 किलो इस तरह कुल 93295 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

27 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 02 मार्च । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 19 व दोपहर की षिफ्ट में 8 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

02 मार्च बुधवार को वार्डो मंे सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में सावित्रीबाई पति राजेषए सुनील.षंकरलालए अषोक.अर्जूनए सुरेन्द्र.नेहरूए विजय.फुलचन्दए अजय.विनोदए विक्की.दिनेषए सचिन.रामसेवकए उमेष.प्रहलादए पुश्पाबाई.प्रहलादए झोन क्रमांक 2 में सोमदीप.सुदेषए महेष.देवकरणए रवि.सुरेषए षकुन्तलाबाई पति अर्जूनए झोन क्रमांक 3 में चन्दाबाई पति नन्दकिषोरए झोन क्रमांक 4 में हिम्मतए विषाल.कुवंरपालए संदीपए जितेन्द्र.बेजूए दोपहर झोन क्रमांक 1 में मोहन.मांगीलालए संजय.बालुए झोन क्रमांक 2 में षीलाबाई पति ओमप्रकाषए

गीताबाई पति ओमप्रकाषए राजेष.रामप्रसादए षारदाबाई पति राजेषए राकेष. रामप्रसादए झोन क्रमांक 4 में आनन्द.बाबुलाल इस तरह 27 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्तध्निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

रात्रीकालिन सफाई के 3 सफाई मित्रों का 1 दिवस का वेतन काटा
सेवा से बर्खास्त किये जाने का जारी किया कारण बताओ सूचना.पत्र
तीन दिवस तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी होंगे बर्खास्त

रतलाम 02 मार्च । षहर को साफ.स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर की 4 व 2 लेन सड़कए मुख्य सड़केए व्यावसायिक क्षेत्रए प्रमुख चौराहेए उद्यान आदि की रात्रीकालिन सफाई हेतु नियुक्त 100 सफाई मित्रों मे से 3 सफाई मित्रो द्वारा 02 मार्च बुधवार को बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार 1 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के तहत 02 मार्च बुधवार को अमित.बालकिषनए विषाल.कैलाषए राजेष.मोहनलाल द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर 1 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बिना सूचना के लगातार तीन दिवस अनुपस्थित रहने वाले सफाई मित्रों को सेवा से बर्खास्त किया जायेगा।

100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 02 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक ;प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्डए बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिकए प्लास्टिक झण्डेए कैंडी स्टिकए आईस्क्रीम स्टीकए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोलए प्लास्टिक प्लेट्सए कपए ग्लासए फोर्कए चम्मचए चाकूए स्ट्राए टेª ए स्वीट बाक्सए निमंत्रण पत्रए सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्मए प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनरद्ध के उपयोग को मध्यप्रदेष प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक ;पॉलीथीनद्ध निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें
रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही
रतलाम 02 मार्च । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टेª षन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस

षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जा ा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना.पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टे षन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000ध् एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500ध् प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हे ेतु प्रतिवर्श 100ध् रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

दिलबहार चौराहे पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 95ण्43 लाख व जलकर 25 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 02 मार्च । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए **जलकर**ए **दुकान**ए **गुमटी किराया**ए **लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू.भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।**

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822รु. **व जलकर** 54ए850รु.ए **मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर** 1ए62ए575รु. **व जलकर** 34ए520รु.ए **जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर** 3ए02ए013รु. **व जलकर** 63ए450รु.ए **विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर** 1ए85ए292รु. **व जलकर** 1ए19ए720รु.ए **अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर** 3ए20ए857รु. **व जलकर** 62ए950รु.ए **तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर** 1ए28ए977รु. **व जलकर** 28ए870รु.ए **कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए16ए000รु. **व जलकर** 14ए000รु.ए **इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर** 2ए51ए600รु. **व जलकर** 1ए04ए640รु.ए **कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर** 8ए61ए206รु. **व जलकर** 1ए21ए090รु.ए **प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए14ए000รु. **व जलकर** 47ए000รु.ए **डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए54ए422รु. **व जलकर** 83ए700รु.ए **हाट रोड षिविर में संपत्तिकर** 1ए71ए500รु. **व जलकर** 27ए540รु.ए **कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर** 1ए96ए281รु. **व जलकर** 40ए240รु.ए **राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर** 1ए45ए000รु. **व जलकर** 31ए760รु.ए **काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर** 3ए36ए077รु. **व जलकर** 72ए440รु.ए **वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर** 98ए534รु. **व जलकर** 37ए465รु.ए **कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर** 87ए732รु. **व जलकर** 36ए660รु.ए **दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए91ए455รु. **व जलकर** 92ए125รु.ए **बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर** 4ए97ए298รु. **व जलकर** 64ए770รु.ए **रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर** 1ए59ए241รु. **व जलकर** 28ए140รु.ए

लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 6ए11ए920ध् **व जलकर** 1ए56ए600ध्ए **धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर** 3ए60ए338ध् **व जलकर** 1ए67ए280ध्ए **किरण टॉकिज षिविर में संपत्तिकर** 3ए89ए541ध् **व जलकर** 76ए625ध्ए **आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर** 1ए20ए807ध् **व जलकर** 37ए520ध्ए **प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर** 1ए91ए836ध् **व जलकर** 72ए860ध्ए **महावीर नगर षिविर में संपत्तिकर** 87ए741ध् **व जलकर** 37ए140ध् **पैलेस रोड षिविर में संपत्तिकर** 2ए81ए036ध् **व जलकर** 89ए570ध्ए **चौगानिया भैरू मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर** 91ए157ध् **व जलकर** 46ए510ध्ए **सायर चबुतरा षिविर में संपत्तिकर** 1ए62ए036ध् **व जलकर** 1ए05ए060ध्ए **चौमुखी पुल षिविर में संपत्तिकर** 5ए20ए421ध् **व जलकर** 1ए62ए610ध्ए **बजाजखाना षिविर में संपत्तिकर** 3ए19ए606ध् **व जलकर** 98ए030ध्ए **षास्त्रीनगर षिविर में संपत्तिकर** 4ए48ए489ध् **व जलकर** 1ए10ए940ध्ए **दो बत्ती षिविर में संपत्तिकर** 2ए88ए212ध् **व जलकर** 77ए175ध्ए **दिलबहार चौराहा षिविर में संपत्तिकर** 2ए96ए446ध् **व जलकर** 1ए31ए870ध् **की राषि जमा कराई।**

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 **व** 34 **के लिये** 3 **मार्च को स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।**

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

3141 **हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए**

स्वरोजगार ऋण से 112 **हितग्राही हुए लाभान्वित**

पथ विक्रेता 10 **व** 20 **हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें**

रतलाम 02 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2636 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 205ृ हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 107 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 02 मार्च । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण

प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 02 मार्च । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 02 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की

जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 02 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्02ण्03ण्2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण